मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

मध्यप्रदेश राज्य में पवन ऊर्जा **(Wind)** से विद्युत उत्पादन हेतु
विद्युत–दर आदेश (स्वप्रेरणा याचिका एसएमपी–20/2010 के अंतर्गत)

(Tariff Order For procurement of Wind power Electric Generators under Suo Moto petition No. SMP-20/2010)

मई, 2010

1 वैधानिक प्रावधान (Legislative provisions) :

1.1 विद्युत अधिनियम, 2003 (या अधिनियम) की धारा 86(1) (ई) द्वारा राज्य विद्युत नियामक आयोगों को किसी व्यक्ति को विद्युत ग्रिड के साथ संयोजन (connectivity) तथा उसके विक्रय के लिये उपयुक्त साधन उपलब्ध कराते हुए ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत सह–उत्पादन और उत्पादन और ऐसे स्त्रोतों से विद्युत के क्रय के लिये किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय किये जाने हेतु अधिदिष्ट (mandate) किया गया है। विद्युत नियामक आयोगों को विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत की खपत का निर्धारित प्रतिशत ऐसे स्त्रोतों से विद्युत का क्रय किया जाना विनिर्दिष्ट करना होता है। इसके अतिरिक्त भी, अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत आयोगों को किसी विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत वितरण कंपनी को प्रदाय की जा रही विद्युत को अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विद्युत–दर अवधारण हेतु शक्ति भी प्रदान की गई है। इसके अलावा, धारा 61 में प्रावधान है कि आयोग द्वारा विद्युत–दर के अवधारण हेतु निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट की जाएंगी तथा ऐसा करते समय वह उक्त धारा की कण्डिकाओं (क) से (झ) द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। धारा 61(ज) तथा 61(झ) को निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

'' 61(ज) ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत के सह–उत्पादन तथा उत्पादन का संवर्धन''

'' 61(झ) राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा टैरिफ नीति''

1.2 ऊर्जा के अपराम्परिक स्त्रोतों से संबंधित टैरिफ नीति की धारा 6.4 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :

(1) अधिनियम की धारा 86(1)(ङ) के प्रावधानों के अनुसरण में उपयुक्त आयोग क्षेत्र में ऐसे संसाधनों की उपलब्धता और फुटकर टैरिफ पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ऐसे संसाधनों से ऊर्जा क्रय को न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित कर सकता है। ऊर्जा खरीद के लिए ऐसा प्रतिशत अंततः 01 अप्रैल, 2006 तक एसईआरसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली टैरिफ पर लागू होगा।

विद्युत कीमत के संदर्भ में अपरंपरागत तकनीकें परंपरागत साधनों के साथ मुकाबला कर सके इसमें कुछ समय लगेगा। अतः वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत का अर्जन उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ वरीयता के आधार पर किया जाएगा।

(2) भावी जरूरतों के लिए ऐसा अर्जन वितरण लाइसेंसियों द्वारा यथासंभव आपूर्तिकर्त्ताओं के उसी प्रकार अपारंपिक ऊर्जा स्रोत प्रस्तावों के तहत अधिनियम के खंड 63 के अंतर्गत प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। दीर्घावधि में इन प्रौद्योगिकियों को लागत के मामले में अन्य स्रोत के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी।

(3) केन्द्रीय आयोग को अपारंपरिक साधनों से अनिश्चित विद्युत के मूल्य निर्धारण हेतु तीन महीने के भीतर दिशानिर्देश जारी करना चाहिए। इसका अनुसरण ऐसे मामलों में किया जाएगा जहां पर विद्युत की अर्जन प्रतियोगी बोली के माध्यम से नहीं है।

1.3 केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने अधिसूचना दिनांक 16.9.2009 द्वारा ऊर्जा के विभिन्न अपारम्परिक स्त्रोतों से, पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादकों से विद्युत की अधिप्राप्ति को सम्मिलित करते हुए, के संबंध में मानदण्ड विनिर्दिष्ट करते हुए दिशा–निर्देश जारी किये हैं।

1.4 अतएव, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 (1)(ए)(बी)(सी)(ई) तथा सहपठित धारा 62(1) द्वारा प्रदत्त समस्त शक्तियों के सामर्थ्य में, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, इस आदेश के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा राज्य में पवन विद्युत उत्पादकों से कैप्टिव प्रयोक्ता अथवा तृतीय पक्षकार विक्रय हेतु, निबन्धन तथा शर्तें सम्मिलित करते हुए विद्युत क्रय हेतु विद्युत–दर (टैरिफ), अधिप्राप्ति प्रक्रिया तथा संबंधित विद्युत क्रय हेतु संबंधित व्यवस्था का अवधारण करता है।

2 प्रक्रियात्मक इतिहास तथा विद्युत–दर (टैरिफ) के पुनर्निधारण की आवश्यकता (Procedural History and Need for Re-setting the Tariff) :

2.1 आयोग द्वारा पूर्व में भी दिनांक 11.6.2004 को पवन विद्युत उत्पादकों से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु एक टैरिफ आदेश जारी किया गया था। इस आदेश की नियंत्रण अवधि लगभग तीन वर्ष थी जो दिनांक 31.3.2007 को समाप्त हुई। अतएव आयोग ने दिनांक 23.4.2007 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये कि दिनांक 11.6.2004 को जारी किये टैरिफ आदेश के यही उपबंध आगामी नियंत्रण अवधि हेतु जारी किये जाने वाले टैरिफ आदेश पर्यन्त जारी रहेंगे। आयोग द्वारा तत्पश्चात् दिनांक 21.11.2007 को पवन ऊर्जा उत्पादकों से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु द्वितीय टैरिफ आदेश जारी किये गये। इस आदेश की नियंत्रण अवधि दिनांक 31.3.2012 को समाप्त होगी।

2.2. आयोग की जानकारी में यह लाया गया कि दिनांक 21.11.2007 को जारी किये गये टैरिफ आदेश के उपरांत परियोजना के क्रियान्वयन में होने वाली लागतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, अतएव उक्त आदेश में निर्धारित की गई विद्युत–दर (टैरिफ) अलाभकर हो गई है। इसके परिणामस्वरूप, राज्य में पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन में नवीन क्षमता वृद्धि में कमी आई है। कई पवन ऊर्जा उत्पादक इस संबंध में आयोग के समक्ष समय–समय पर अपनी कठिनाइयां प्रकट करते आ रहे थे। इस बीच, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) द्वारा ऊर्जा के नवीन तथा नवीकरणीय स्त्रोतों से विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु निबंधन तथा शर्तों पर विनियम जारी किये जा चुके हैं।पवन ऊर्जा के संबंध में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की निबंधन तथा शर्तों की तुलना आयोग की निबंधन तथा शर्तों से करने पर यह प्रकट होता है कि केविनिआ के विनियमों से बेहतर विद्युत–दर की प्राप्ति होती है। मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग ने आयोग से इस विषय पर विचार

किये जाने तथा समुचित आदेश शीघ्र पारित किये जाने का भी अनुरोध किया है ताकि मध्यप्रदेश राज्य में वैकल्पिक स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

2.3 टैरिफ आदेश दिनांक 21.11.2007 की कण्डिका 12.29 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है जिसका हिन्दी रूपांतरण निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

''आयोग इस आदेश के अंतर्गत किये गये किन्हीं भी उपबंधों को परिवर्तित करने, सुधार करने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अयोग महसूस करता है कि यह प्रावधान किया जाना इसलिये आवश्यक है क्योंकि ऐसा कोई तथ्य जिसकी पूर्व में अनदेखी की गई है, को अनुवर्ती रूप से सम्मिलित किया जा सके अथवा **यदि कोई नई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस आदेश के निष्पादन के समय अर्जित किये गये अनुभव के आधार पर** हितधारकों के हित में उचित रूप से इसका निराकरण किया जा सके।''

तदनुसार, आयोग का मत है कि परियोजना पूंजीगत लागत में हुई पर्याप्त वृद्धि के साथ–साथ केविनिआ द्वारा दिनांक 16.9.2009 को जारी दिशा–निर्देशों पर विचार करते हुए जो नवीन परिस्थिति के अंतर्गत बेहतर विद्युत–दर तथा आयोग को विद्यमान मानदण्ड प्रदान करती है, दिनांक 31.3.2012 को समाप्त होने वाली नियंत्रण अवधि के दौरान उद्‌भूत हुई है। अतएव, वर्तमान नियंत्रण अवधि की समाप्ति से पूर्व पवन विद्युत उत्पादकों से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण संबंधी मानदण्डों पर पुनर्विचार किये जाने का तथा नवीन निबंधन तथा शर्तों के आधार पर एक पुनरीक्षित विद्युत–दर निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आयोग को इस तथ्य के आधार पर भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है कि यह राज्य के उपभोक्ताओं के वृहद हित में होगा कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों से उपलब्ध संभावनाओं का अधिक से अधिक सीमा तक का दोहन किया जाए ताकि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने–अपने नवीकरणीय क्रय आबन्ध (Re-newable Purchases Obligation-RPO) ऐसे स्त्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की अधिप्राप्ति द्वारा परिपूर्ण किये जा सकें। इस उपाय द्वारा भविष्य में जारी किये जाने वाले संभावित नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों (Renewable Energy Certificate-REC) के क्रय की आवश्यकता से बचा जा सकेगा अथवा इसे न्यूनतम किया जा सकेगा।

3. आगामी नियंत्रण अवधि हेतु विनियामक प्रक्रिया (Regulatory Process for Next Control Period)

3.1 आयोग द्वारा दिनांक 21.1.2010 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई जिसके द्वारा समस्त हितधारकों से टिप्पणियां/सुझाव/आपत्तियां दिनांक 10.2.2010 तक आमंत्रित की गईं। इसकी समय–सीमा में तत्पश्चात् दिनांक 19.2.2010 तक की वृद्धि की गई। हितधारकों की सूची जिनके द्वारा अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की गई हैं, परिशिष्ट–1 में संलग्न हैं। सार्वजनिक सुनवाई दिनांक

22.2.2010 को आयोजित की गई। सुनवाई के दौरान भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची जिनके द्वारा अपने–अपने मत प्रकट किये गये परिशिष्ट–2 में संलग्न हैं।

3.2 नवीन निबंधन तथा शर्तों तथा तत्पश्चात् पवन ऊर्जा स्त्रोतों से टैरिफ की अवधारणा हेतु आयोग द्वारा अन्य राज्यों के विद्युत नियामक आयोगों द्वारा जारी टैरिफ आदेशों, विभिन्न स्त्रोतों से पवन विद्युत उत्पादन के संबंध में तथ्यों, केविनिआ द्वारा जारी दिशा–निर्देशों तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु टैरिफ के अवधारण बाबत् मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी नीति–निर्देशों का विश्लेषण किया गया है। तदनुसार, आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 की अर्हताओं की पूर्ति हेतु निम्न आदेश जारी करता है :

4. आदेश की प्रयोज्यता (Applicability of the Order) :

4.1 यह टैरिफ आदेश मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत इस आदेश को जारी होने की तिथि को अथवा इसके तत्पश्चात् क्रियाशील की गई समस्त नवीन पवन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को मध्यप्रदेश राज्य के अंतर्गत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत के विक्रय हेतु लागू होगा। यह आदेश कैप्टिव प्रयोक्ता अथवा तृतीय पक्षकार को विद्युत के विक्रय हेतु [विद्युत–दर (टैरिफ) को छोड़कर] निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट करता है।

4.2 अनुज्ञप्तिधारियों के लिए आयोग को उनके अनुज्ञप्ति–प्राप्त क्षेत्र में पवन ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं में क्षमता वृद्धि, ऊर्जा के क्रय तथा अन्य सुसंबद्ध विवरण प्रस्तुत करने होंगे तथा इन्हें नियमित रूप से वैबसाईटों पर भी प्रदर्शित करने अधिदेशात्मक (mandatory) होंगे।

5. टैरिफ समीक्षा अवधि/नियंत्रण अवधि (Tariff Review Period/control Period) :

5.1 इस आदेश की नियंत्रण अवधि इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रारंभ होकर दिनांक 31.03.2013 (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012–13 की समाप्ति पर) को समाप्त होगी। इस आदेश के अंतर्गत अवधारित विद्युत–दर (टैरिफ) ऐसी समस्त परियोजनाओं पर लागू होगी जो उपरोक्त उल्लेखित नियंत्रण अवधि के अंतर्गत प्रारंभ होती हैं तथा अवधारित की गई विद्युत–दर 25 वर्षों की परियोजना अवधि हेतु वैध रहेगी।

6. विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण की कार्य विधि (Mechanism for Tariff Determination) :

6.1 आयोग द्वारा अपने पूर्व के आदेशों में एक मिश्रित पद्धति (Hybrid Approach) अपनाई गई थी जबकि केविनिआ द्वारा सन्तुलित पद्धति की अनुशंसा की गई है। अधिकांश परियोजना विकास अभिकरण (Project Developers) भी एक सन्तुलित पद्धति के पक्ष में थे। अतः आयोग द्वारा इस आदेश के अंतर्गत एक सन्तुलित टैरिफ पद्धति अपनाई गई है।

मानदण्डों का निर्धारण (Benchmarking) :

6.2 मानदण्डों के निर्धारण में सामान्यतः प्रत्येक परियोजना हेतु मूल्यांकन, विस्तृत परीक्षण तथा प्रत्येक लागत मानदण्ड का अवधारण पृथक–पृथक किया जाना आवश्यक होता है। परियेाजनाओं के अंतर्गत भी विभिन्न मानदण्डों मूल्यों में जैसे कि संयंत्र क्षमता, स्थिति, परियोजना लागत, वित्त प्रबंध योजना आदि के संबंध में उल्लेखनीय विषमताएं हैं।

6.3 मध्यप्रदेश राज्य में ऐसे विस्तृत आकड़ों की उपलब्धता के अभाव में, मानदण्ड निर्धारण के संबंध में निम्न प्रक्रिया अपनाई गई है :

अ) विभिन्न राज्य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा जारी किये गये टैरिफ आदेशों का विश्लेषण

ब) पवन विद्युत उत्पादकों से विद्युत की अधिप्राप्ति हेतु हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण

स) भारत सरकार, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की 'भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी' द्वारा जारी की गई नीतियां तथा दिशा–निर्देश।

6.4 वे ऊर्जा परियोजनाएं जो वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य में अभी भी विकास के अपने शैशव–काल में हैं, में पूंजीनिवेश के समर्थन हेतु परियोजना विकास अभिकरणों, निवेशकों तथा ऋण प्रदायकों के परिप्रेक्ष्य में टैरिफ के निर्धारण में विनियामक स्पष्टीकरण तथा निश्चितंता का होना अनिवार्य है। अतएव, यह जबकि पवन विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं में एक समान विद्युत–दर का निर्धारण किया जाना महत्वपूर्ण है, इसके साथ–साथ ही इसके परिसर की स्थापना तथा इसका युक्तियुक्त होना भी स्पष्ट किया जाना भी महत्वपूर्ण है। आयोग द्वारा एक 'मानदण्डीय टैरिफ अवधारण दृष्टिकोण, का निर्धारण किया गया है तथा मानदण्ड अनुपालन मापदण्डों पर विद्युत उत्पादन की लागत की गणना की गई है।

एकल भाग बनाम द्विभाग विद्युत दर (Single Part Vs Two Part Tariff) :

6.5 सामान्यतः, द्विभाग विद्युत दर को विद्युत–दर के स्थाई तथा परिवर्तनीय घटकों के माध्यम से पृथक रूप से स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों की वसूली के प्रयोजन से लागू किया जाता है। यह पद्धति सुयोग्यता क्रम के प्रेषण (merit order despatch) परिदृश्य में विशेष रूप से उपयोगी है।

6.6 चूंकि पवन ऊर्जा को इसकी अस्थाई (Infirm) प्रकृति के कारण अनुसूचित प्रेषण की प्रणाली के अंतर्गत नहीं लाया गया है तथा पवन ऊर्जा से संबंधित समस्त लागतें स्थाई प्रकृति की होती हैं, अतः पवन विद्युत उत्पादकों द्वारा उत्पादित ऊर्जा हेतु **एकल–भाग विद्युत–दर (टैरिफ) सर्वोत्तम रूप से उपयुक्त प्रतीत होती है।** अतएव, आयोग द्वारा एकल–भाग विद्युत–दर पद्धति अपनाई गई है।

परियोजना विशिष्ट अथवा सामान्य विद्युत–दर (Project Specific or Generalized Tariff) :

6.7 एक सामान्य प्रकार की विद्युत–दर (टैरिफ) कार्यविधि सर्वाधिक दक्ष उपकरण और प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु तथा सर्वाधिक दक्ष स्थल चयन हेतु पूंजी निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। परियोजना विशिष्ट विद्युत दर निर्धारण की प्रक्रिया काफी बोझिल तथा समय नष्ट करने वाली होगी। अतएव, समस्त पवन ऊर्जा परियोजनाओं हेतु एक समान मानदण्ड तकनीक के उपयोग हेतु एक सामान्य (Common) विद्युत–दर के प्रयोग का निर्णय लिया गया है ।

अग्र/पृष्ठ भारित अथवा एक सन्तुलित विद्युत–दर (Front/Back Loaded or Levelized Tariff) :

6.8 यदि विद्युत–दर अग्रभारित हो तो विकास अभिकरण की अग्रभारण के लाभों की प्राप्ति के बाद परियोजना में रूचि समाप्त हो सकती है। पृष्ठभारित विद्युत–दर के अंतर्गत, विकास अभिकरण रोकड़–प्रवाह के अपर्याप्त होने के कारण उसकी ऋण अदायगी दायित्व की पूर्ति संभावनाएं कम हो सकती हैं। अतएव, आयोग द्वारा विभिन्न हितधारकों के हितों को सन्तुलित किये जाने की दृष्टि से टैरिफ अवधारण हेतु एक सन्तुलित पद्धति अपनाए जाने का निर्णय लिया गया है।

7. विद्युत–दर रूपांकन (Tariff Design) :

7.1 विनियामकों के फोरम (फोरम ऑफ रेगुलेटर्स) द्वारा नवीकरणीय स्त्रोतों संबंधी नीतियों हेतु गठित कार्यदल द्वारा अपनी अनुशंसाओं में सुझाव दिया गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों हेतु युक्तियुक्त मानदण्डों पर आधारित सलाभ परिव्यय (cost plus) विद्युत–दर को अपनाया जाना चाहिए। उपरोक्त अनुशंसाओं पर विचार करते हुए, आयोग द्वारा पवन विद्युत ऊर्जा के टैरिफ अवधारण हेतु सलाभ परिव्यय आधार पर अधिमान्य संव्यवहार की कार्यविधि अपनायी गयी है। एक सलाभ परिव्यय की अवधारणा हेतु, मुख्य तत्व जो किसी परियोजना हेतु विद्युत–दरों का अवधारण करते हैं, का उल्लेख निम्नानुसार किया गया है :

- पूंजीगत लागत (Capital Cost)
- क्षमता उपयोगिता कारक (Capacity Utilization Factor-CUF)
- संचालन एवं संधारण लागत (Operation and Maintenance)
- संयंत्र का जीवनकाल (Plant Life)
- अवमूल्यन (Depreciation)
- पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)
- ऋण–पूंजी अनुपात (Debt Equity Ratio)
- कार्यकारी–पूजी पर ब्याज (Interest an Working Capital)

पूंजीगत लागत (अधोसंरचना लागत को सम्मिलित करते हुए) [Capital Cost (including Cost of Infrastructure)] :

7.2 विद्युत–दर के अवधारण में पूंजीगत लागत सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक होता है। इस घटक में भूमि संयंत्र व मशीनरी सिविल कार्य, संस्थापना तथा क्रियाशील व्ययों की लागत विद्युत निकासी की लागत तथ अन्य संबंधित व्यय शामिल होते हैं।

7.3 आयोग द्वारा माह जनवरी, 2010 में जारी अपने अवधारणा–पत्र (Approach Paper) में रू. 5 करोड़ प्रति मेगावाट (विद्युत निकासी लागत को सम्मिलित करते हुए) प्रस्तावित की गई थी। विभिन्न हितधारकों द्वारा पूंजीगत लागत रू. 5.00 करोड़ प्रति मेगावाट से लेकर रू. 7.00 करोड़ प्रतिमेगावाट का उल्लेख किया गया है। मेसर्स एनरकॉन (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा सम्पूर्ण भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन की पूंजीगत लागत के विवरण प्रस्तुत किये गये हैं जो रूपये 524 लाख प्रति मेगावाट से लेकर रूपये 550 लाख प्रति मेगावाट हैं। मेसर्स इण्डियन विण्ड पावर एसोसियेशन द्वारा परियोजना रूपांकन अभिलेख के अनुसार परियोजना लागत की गणना रूपये 508 लाख प्रति मेगावाट से लेकर रूपये 663.33 लाख प्रति मेगावाट की गई है।

7.4 केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने दिनांक 16.9.2009 को जारी अपने विनियमों में वर्ष 2009–10 हेतु पूंजीगत लागत रू. 5.15 करोड़ प्रति मेगावाट भविष्यगामी वर्षों हेतु सूचकांक (Indexing) के प्रावधान के साथ अपनाई गई है।

7.5 मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 17.10.2006 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अपारम्परिक स्त्रोतों [जैसे कि सौर, पवन, जैव–ऊर्जा (bio-energy)] आदि के माध्यम से विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु, विद्युत की निकासी परियोजना का एकीकृत भाग होगी तथा विद्युत निकासी सुविधाएं संबंधी समस्त लागतें इकाई द्वारा वहन की जाएंगी।

आयोग का दृष्टिकोण :

7.6 जैसा कि पूर्व में भी उल्लेख किया गया है, परियोजना लागत में विभिन्न कारकों के कारण अंतर आता है जिनमें शामिल है परियोजना की स्थिति, इकाईयों के मूल्यांकन, कुल क्षमता, प्रौद्योगिकी, रूपांकित क्षमता, उपयोगिता कारक, आदि। अतएव, टैरिफ अवधारण के प्रयोजन से समस्त पवन ऊर्जा परियोजनाओं हेतु एक युक्तियुक्त परियोजना लागत पर एक समान आधार के अनुसार पर विचार किया जाना उचित होगा।

7.7 आयोग द्वारा दिनांक 21.11.2007 को जारी अपने आदेश में रू. 4.60 करोड़ प्रति मेगावाट की पूंजीगत लागत (अधोसंरचना की लागत को सम्मिलित करते हुए) मानी गई थी।

7.8 आयोग द्वारा जन–सुनवाई के दौरान विभिन्न हितधारकों से प्राक्कलन तथा जानकारियां प्राप्त की गईं थीं। आयोग द्वारा पाया गया कि विभिन्न हितधारकों के साथ–साथ अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भी नाना प्रकार के मत प्रकट किये गये। तथापि, समस्त परियोजना विकास अभिकरणों द्वारा अपनी प्रस्तावित पूंजीगत लागत के प्रमाणीकरण हेतु मदवार लागत आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये थे। आयोग द्वारा यह भी संज्ञान में लिया गया कि भारत शासन, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जानकारी के अनुसार पवन ऊर्जा की प्रौद्योगिकी के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है जिसके परिणामस्वरूप उच्चतर क्षमता की मशीनें उनके विशाल रोटर (Rotor) व्यास तथा उच्चतर हब ऊंचाई के साथ विकसित की गई हैं। नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय द्वारा उल्लेख किया गया है कि बाजार में विस्तार होने के कारण, अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप, इसकी लागत में कमी होने की संभावनाएं हैं। अतएव, आयोग का यह मत है कि परियोजना स्थल से वितरण/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के निकटतम उपकेन्द्र तक विद्युत निकास से प्रणाली को सम्मिलित करते हुए रू. 5.00 करोड़ की पूंजीगत लागत को अपनाया जाना युक्तियुक्त होगा।

8. प्रचालन मानदण्ड (Operating Parametres) :

क्षमता उपयोगिता कारक (Capacity Utilization Factor) :

8.1 क्षमता उपयोगिता कारक कई घटकों पर निर्भर करता है, जैसे कि स्थल पर पवन प्रवाह की प्रचलित पद्धति, स्थापित की गई मशीनों की गुणवत्ता, क्षमता तथा उनका जीवनकाल, हब (Hub) की ऊंचाई तथा धार (ब्लेड) की लम्बाई (वेग क्षेत्र या swift area), आदि।

8.2 केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) ने दिनांक 16.9.2009 को जारी अपने विनियमों में क्षमता उपयेागिता कारक (सीयूएफ) 20 प्रतिशत अपनाए जाने का सुझाव दिया गया है। पूर्व में, आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.6.2004 तथा 21.11.2007 में सीयूएफ दर, बिना किसी अवमूल्यन के (without derating) 22.5 प्रतिशत मानी गई थी। तथापि, आयोग को प्रस्तुत किये गये आंकड़ों में, यह कारक अधिकांश प्रकरणों में, सुसंगत रूप से 22.5 प्रतिशत प्राप्त नहीं किया जा सका है।

8.3 आयोग द्वारा माह जनवरी, 2010 में जारी किये गये प्रारूप अवधारण पत्र में 20 प्रतिशत का क्षमता उपयोगिता कारक प्रस्तावित किया गया था। विभिन्न हितधारकों ने संयंत्र के सम्पूर्ण जीवनकाल हेतु 15 प्रतिशत से लेकर 22.5 प्रतिशत तक की क्षमता उपयोगिता कारक अपनाने का सुझाव दिया है।

आयोग का दृष्टिकोण

8.4 चूंकि क्षमता उपयोगिता कारक विभिन्न परिवर्तनीय कारकों पर निर्भर करता है, अतः इसकी प्रत्येक मशीन तथा स्थल हेतु विशिष्ट रूप से गणना करना कठिन होगा। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा सार्वजनिक सुनवाई के दौरान भी हितधारकों के दृष्टिकोण के साथ–साथ केविनिआ की अनुशंसाओं पर भी विचार करते हुए, आयोग द्वारा नई परियोजनाओं हेतु 20 प्रतिशत के क्षमता उपयोगिता कारक बिना किसी दर–ह्रास के अपनाए जाने पर विचार किया गया है।

संचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses) :

8.5 संचालन तथा संधारण व्ययों में जनशक्ति (manpower) संबंधी व्यय, बीमा व्यय, कलपुर्जे तथा मरम्मत, उपभोज्य वस्तुओं (consumables) पर व्यय तथा अन्य व्यय (विधिक शुल्क, आदि) शामिल होते हैं। सामान्यतः पवन चक्कियों का संधारण एक केन्द्रीकृत संधारण प्रणाली के माध्यम से किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप जनशक्ति के साथ–साथ प्रशासनिक एवं सामान्य मदों पर कम व्यय होता है। आयोग द्वारा दिनांक 11.6.2004 तथा 21.11.2007 को जारी किये गये अपने पूर्व के आदेशों में प्रथम पांच वर्षों हेतु पूंजीगत लागत के एक प्रतिशत की दर से तथा तत्पश्चात् 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धियां मानी गई थीं।

8.6 **संचालन तथा संधारण व्यय (O&M expenses)** : आयोग द्वारा माह जनवरी, 2010 में जारी अपने चर्चा–पत्र में प्रथम वर्ष हेतु प्रचालन एवं संधारण व्यय पूंजीगत लागत का एक प्रतिशत तथा तत्पश्चात 5.72 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर प्रस्तावित की गई थी। विभिन्न हितधारकों द्वारा संचालन तथा संधारण व्यय 1 से 2 प्रतिशत की सीमा के अंतर्गत, 5से 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि सीमा के अंतर्गत प्रस्तावित किये गये हैं।

8.7 केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 16.9.2009 को जारी अपने विनियम के अंतर्गत संचालन एवं संधारण व्यय व्यय प्रचालन में रूपये 6.5 लाख प्रति मेगावाट, मय 5.72 प्रतिवर्ष की वृद्धि दर का सुझाव दिया गया था।

आयोग का दृष्टिकोण

8.8 हितधारकों के दृष्टिकोण, केविनिआ की अनुशंसाओं तथा विद्युत नियामक आयोगों के टैरिफ आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम वर्ष के दौरान संचालन एवं संधारण व्यय परियोजना लागत के एक प्रतिशत की दर से तथा तत्पश्चात् प्रतिवर्ष 5.72 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुज्ञेय किया जाना उचित होगा।

संयंत्र जीवन काल (Plant life)

8.9 आयोग द्वारा माह जनवरी, 2010 में जारी अपने चर्चा–पत्र में 25 वर्ष का संयंत्र जीवनकाल प्रस्तावित किया गया था। विभिन्न हितधारकों द्वारा 20 से 25 वर्ष का संयंत्र जीवन काल प्रस्तावित किया गया है। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा भी दिनांक 16.9.2009 को जारी अपने विनियमों में भी जीवनकाल की अवधि 25 वर्ष मानी गई है। आयोग द्वारा दिनांक 11.4.2004 तथा 21.11.2007 को जारी अपने पूर्व के आदेशों में 20 वर्ष का उपयोगी जीवनकाल माना गया था।

आयोग का दृष्टिकोण

8.10 उल्लेखनीय है कि कोयला आधारित ताप ऊर्जा विद्युत उत्पादक स्टेशन हेतु उपयोगी जीवनकाल 25 वर्ष माना जाता है जबकि जल–विद्युत स्टेशनों हेतु यह 35 वर्ष माना जाता है। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ताप ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में पवन विद्युत ऊर्जा संयंत्रों को अतिभारित संचालन परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ता है, अतएव इन संयंत्रों के जीवनकाल को कम से कम कोयला आधारित ताप ऊर्जा संयंत्रों की तुलना में कम जीवनकाल अपनाया जाना न्यायोचित न होगा। अतएव, आयोग द्वारा विद्युत–दर अवधारण के प्रयोजन हेतु पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन इकाईयों हेतु 25 वर्ष का जीवनकाल माना गया है।

9. वित्तीय मानदण्ड (Financial Parametres) :

अवमूल्यन (Depreciation) :

9.1 आयोग द्वारा माह जनवरी 2010 में जारी अपने चर्चा–पत्र के अंतर्गत अवमूल्यन की दर प्रथम 10 वर्ष हेतु 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से तथा अवशेष 20 प्रतिशत को 11 वर्षो के उपरांत संयंत्र के 10 वर्षों के अवशेष जीवनकाल हेतु प्रसारित किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया था। विभिन्न हितधारकों द्वारा भी अवमूल्यन दर प्रथम दस वर्षों हेतु 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष प्रथम दस वर्ष हेतु तथा अवशेष 20 प्रतिशत आगामी 15 वर्षों के दौरान प्रसारित किये जाने का सुझाव दिया गया है। केविनिआ की अनुशंसाएं भी इसी के अनुरूप हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

9.2 आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के प्रयोजन हेतु, प्रथम दस वर्षों के लिये 7 प्रतिशत अवमूल्यन दर माना जाना युक्तिसंगत होगा ताकि ऋण की अदायगी की जा सके तथा शेष 20 प्रतिशत का अवमूल्यन आगामी 15 वर्षों के दौरान किया जाएगा ताकि परिसम्पत्ति का अवमूल्यन 25 वर्षों के जीवनकाल के दौरान उसके प्रारंभिक मूल्य के दस प्रतिशत तक सीमित किया जा सके।

पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity-RoE) :

9.3 आयोग द्वारा माह जनवरी, 2010 में जारी किये गये प्रारूप चर्चा–पत्र में प्रथम दस वर्ष हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ 19 प्रतिशत पूर्व–कर (19 % Pre-Tax) तथा ग्यारहवें वर्ष से 24 प्रतिशत पूर्व–कर आधार पर प्रस्तावित किया गया था। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान, विभिन्न हितधारकों ने प्रथम दस वर्ष के दौरान पूंजी पर प्रतिलाभ 16 प्रतिशत से 19 प्रतिशत पूर्व–टैक्स तक तथा आगामी 15 वर्षों हेतु केविनिआ द्वारा दिनांक 16.9.2009 को जारी किये गये विनियमों में की गई अनुशंसा के अनुरूप 24 प्रतिशत सुझाव प्रस्तुत किया गया है। आयोग द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेश दिनांक 16.4.2004 तथा 21.11.2007 में पूंजी पर प्रतिलाभ 16 प्रतिशत पूर्व–कर की दर से अनुज्ञेय किया गया था।

आयोग का दृष्टिकोण

9.4 आयोग द्वारा टैरिफ अवधि 2009–10 से 2011–12 हेतु ताप–ऊर्जा (थर्मल) तथा जल–विद्युत (हायड्रो) विद्युत उत्पादक संयंत्रों हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ 15.5 प्रतिशत पूर्व–कर अनुज्ञेय किया गया है। यह विद्युत–दर पश्चातवर्ती टैरिफ अवधियों हेतु विद्युत–दर के अवधारण के समय परिवर्तित भी हो सकती है। ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों हेतु अधिमान्य विद्युत दर हेतु टैरिफ नीति की अर्हताओं पर विचार करते हुए तथा विभिन्न हितधारकों द्वारा प्रकट किये गये मतानुसार भी, आयोग द्वारा 16 प्रतिशत पूर्व–टैक्स की दर पर पूंजी पर प्रतिलाभ अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लिया गया है।

ऋण पर ब्याज (Interest on Debt)

9.5 आयोग द्वारा माह जनवरी 2010 में जारी अपने चर्चा–पत्र के अंतर्गत ऋण पर ब्याज 12.25 प्रतिशत की दर से प्रस्तावित किया गया था। विभिन्न हितधारकों द्वारा ऋण पर ब्याज की वार्षिक दर 12.25 प्रतिशत से 14.29 प्रतिशत की सीमाओं के अंतर्गत अथवा केविनिआ की अनुशंसाओं के अनुसार प्रस्तावित की गई है। केविनिआ द्वारा दिनांक 16.9.2009 को जारी अपने विनियमों के अंतर्गत ऋण पर ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की दीर्घ अवधि प्रधान ऋण दर 150 आधार बिन्दु जोड़कर (Long Term Prime Lending Rate Of SBI Plus 150 basis points) में प्रावधान किया गया है।

आयोग द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेश दिनांक 11.6.2004 तथा 21.11.2007 में ब्याज की दर 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष मानी गई थी।

आयोग का दृष्टिकोण

9.6 आयोग का विचार है कि दोनों जमा राशि तथा ऋणों हेतु ब्याज दरों में बारंबार समय–समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। अतएव, आयोग द्वारा टैरिफ अवधारण के प्रयोजन से ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 12 प्रतिशत मानी गई है। निवेशकर्ता को सस्ती दर पर ऋणों की प्राप्ति द्वारा लाभ यदि कोई हो, को धारित रखे जाने हेतु भी अनुज्ञेय किया गया है।

ऋण–पूंजी अनुपात (Debt-Equity Ratio) :

9.7 आयोग द्वारा माह जनवरी 2010 में जारी किये गये अपने चर्चा–पत्र के अंतर्गत ऋण–पूंजी अनुपात 70 : 30 के अनुसार प्रस्तावित किया गया था। टैरिफ नीति की कण्डिका 5.3 (बी) में भी विद्युत परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत 70 : 30 के अनुपात की अवधारणा की गई है। आयोग द्वारा पूर्व में जारी किये गये आदेश दिनांक 11.6.2004 तथा दिनांक 21.11.2007 के अंतर्गत ऋण पूंजी अनुपात 70 : 30 माना गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

9.8 अतएव, आयोग द्वारा भी ऋण–पूंजी का अनुपात 70 : 30 ही माना गया है।

कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital) :

9.9 आयोग द्वारा पूर्व में दिनांक 16.6.2004 तथा 21.11.2007 को जारी किये गये आदेशों के अंतर्गत कार्यकारी पूंजी पर ब्याज का प्रावधान नहीं किया गया था। केविनिआ द्वारा दिनांक 16.9.2009 को जारी अपने विनियमों के अंतर्गत कार्यकारी पूंजी पर ब्याज, भारतीय स्टेट बैंक की लघु–अवधि प्रधान ऋण प्रदाय दर में 100 बिन्दु जोड़कर (Short Term Prime Lending Rate of SBI Plus 100 points) का अनुमोदन किया गया है जिसकी गणना में निम्न मानदण्डों का प्रयोग किया जाएगा :

(अ) एक माह हेतु संचालन तथा संधारण व्यय

(ब) दो माह के ऊर्जा प्रभारों के बराबर प्राप्य सामग्रियां (Receivable)

(स) संधारण कलपुर्जे, संचालन एवं संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से

9.10 आयोग द्वारा शीर्षक "Fixation of norms for determination of tariff for procurement of power from Wind Electric Generators" के अंतर्गत जारी अपने अवधारणा–पत्र (Approach Paper) में किये गये कार्यकारी पूंजी की राशि को उपरोक्त किये गये उल्लेखानुसार माना गया है।

9.11 विभिन्न हितधारकों द्वारा केविनिआ द्वारा प्रस्तावित कार्यकारी पूंजी (Working Capital) पर ब्याज दर के अनुसार रखे जाने का सुझाव भी दिया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

9.12 आयोग द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ–साथ अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर विचार करते हुए निर्णय लिया गया है कि कार्यकारी पूंजी की राशि की गणना निम्न मानदण्डों को अपनाते हुए तथा उस पर 12.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर के प्रयोग द्वारा की जाएगीः

(अ) एक माह हेतु संचालन तथा संधारण व्यय

(ब) मानदण्डीय क्षमता उपयोगिता कारक (CUF) पर आधारित दो माह के ऊर्जा प्रभारों के बराबर प्राप्य सामग्रियां (Receivables)

(स) संधारण कलपुर्जे, संचालन एवं संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से

10. ह्रासित दर (Discounting Rate) :

10.1 **ह्रासित दर (Discounting Rate)** : बोली प्रक्रिया (Bidding Process) द्वारा विद्युत–दर के अवधारण संबंधी निर्देशों से संबंधित यथासंशोधित भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19.1.2005 की कण्डिका 5.6 (vi) के अनुसरण में, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) द्वारा प्रत्येक छमाही में बोली के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु ह्रासित दर (discounting rate) संबंधी अधिसूचना जारी की जाती है। ह्रासित दर का प्रयोग भुगतान के प्रयोजन से नहीं किया जाता है। आयोग द्वारा केविनिआ द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान का अवलोकन किया गया तथा यह पाया कि वित्तीय वर्ष 2008–09, 2009–10 तथा 2010–11 हेतु ह्रासित दर क्रमशः 10.49, 10.19 तथा 9.35 प्रतिशत थी। अतएव आयोग ने उपरोक्त तीनों वर्षो के औसत 10.01 प्रतिशत की ह्रासित दर का उपयोग संतुलित विद्युत–दर (levelised Tariff) की गणना हेतु किया है।

11. विद्युत–दर का अवधारण (Determination Tariff) :

11.1 उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग द्वारा टैरिफ अवधारण के संबंध में माने गये विभिन्न मानदण्ड निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

क्रमांक	मानदण्ड	आयोग द्वारा निर्णित
1	पूंजीगत लागत (रू. लाख प्रति मेगावाट में) विद्युत निकासी लागत को सम्मिलित करते हुए	500
2	क्षमता उपयोगिता कारक (प्रतिशत में)	20

3	प्रचालन एवं संधारण व्यय (रू. लाख प्रति वर्ष)	प्रथम वर्ष के दौरान पूंजीगत लागत के एक प्रतिशत की दर से, तथा तत्पश्चात् प्रत्येक वर्ष के दौरान 5.72 प्रतिशत वृद्धि दर के अनुसार
4	संयंत्र का जीवनकाल (वर्षों में)	25
5	अवमूल्यन (प्रतिशत में)	प्रथम दस वर्ष के दौरान 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा अवशेष 20 प्रतिशत आगामी 15 वर्षों के दौरान
6	पूंजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में)	16 प्रतिशत पूर्व–टैक्स
7	पूंजी पर प्रतिलाभ (प्रतिशत में) प्रतिवर्ष	12
8	ऋण–पूंजी अनुपात	70 : 30
9	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (प्रतिशत में) (अ) एक माह हेतु संचालन तथा संधारण व्यय (ब) मानदण्डीय क्षमता उपयोगिता कारक के आधार पर दो माह के ऊर्जा प्रभारों के बराबर प्राप्य सामग्रियां (स) संधारण कलपुर्जे, संचालन एवं संधारण व्ययों के 15 प्रतिशत की दर से	12.75
10	ह्रासित दर (प्रतिशत में)	10.01

11.2 उपरोक्त मानदण्डों पर विचार करते हुए, आयोग किसी नवीन पवन ऊर्जा परियोजना से विद्युत उत्पादन हेतु, इस आदेश के बाद क्रियाशील होने वाली परियोजनाओं के संबंध में, इसके 25 वर्ष के परियोजना जीवनकाल हेतु संतुलित विद्युत–दर (levelized tariff) **रू. 4.35 प्रति यूनिट** निर्धारित करता है।

12. अन्य निबंधन तथा शर्तें (Other Terms and Conditions) :

12.1 अनुज्ञप्तिधारी हेतु विद्युत–दर समस्त प्रभारों को सम्मिलित कर है (परियोजना के स्वामी/विकास अभिकरण के कर दायित्वों को सम्मिलित करते हुए)।

12.2 आपवादिक परिस्थितियों के अंतर्गत ही आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि की समाप्ति से पूर्व विद्युत–दर की समीक्षा की जा सकेगी यदि ऐसी समीक्षा की आवश्यकता हेतु इसके समर्थन में पर्याप्त तथ्यात्मक सामग्री स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाती है।

12.3 परियोजना काल के अंतर्गत विद्युत–दरें स्थाई रहेंगी तथा विनिमय दर में परिवर्तन होने पर अथवा करों में परिवर्तन होने पर या अन्य किसी कारण से, चाहे जो भी हो, परिवर्तित नहीं की जाएगी।

विद्युत क्रय अनुबंध तथा इसकी अवधि (Power Purchase Agreement and Tenure) :

12.4 चूंकि अधिकांश पवन ऊर्जा उत्पादक इकाईयां पश्चिम विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्राधिकार में स्थित हैं, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बारंबार आयोग को अन्य वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को भी उत्पादित ऊर्जा के आवंटन हेतु अनुरोध किया जा रहा था तथा आयोग पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किये गये निवेदन को विचार–योग्य मानता है। अतएव, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु, जिनके द्वारा पवन विद्युत उत्पादक इकाईयों द्वारा उत्पादित विद्युत की थोक में अधिप्राप्ति करनी होती है तथा अन्य वितरण अधिकारी जिनके लिये विद्युत अधिप्राप्ति हेतु पर्याप्त इकाईयां उपलब्ध नहीं हैं, आयोग निर्देश देता है कि पवन ऊर्जा उत्पादक इकाईयों द्वारा उत्पादित विद्युत की अधिप्राप्ति एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी द्वारा केन्द्रीकृत रूप से इस आदेश में निर्दिष्ट की गई दरों पर की जाएगी। इस प्रकार अधिप्राप्त की गई ऊर्जा की मात्रा को, मप्र पावर ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा तीन वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उनके द्वारा आहरित की गई ऊर्जा के आधार पर वितरित किया जाएगा। तदनुसार, विद्युत क्रय अनुबंधों को विकास अभिकरण (Developer) तथा एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर के मध्य हस्ताक्षरित किया जाएगा। इसी क्रम में एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लि. द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों से एक के बाद एक अनुबंध पृथक–पृथक निष्पादित किये जायेंगे। ये अनुबंध पूर्णतया संयंत्र के क्रियाशील होने की तिथि से विद्युत के विक्रय/क्रय हेतु 25 वर्ष की अवधि हेतु अथवा लघुतर अवधि हेतु निष्पादित किये जाएंगे यदि विकास अभिकरण अनुज्ञप्तिधारियों को कुछ वर्षों के लिये स्वयं के उपयोग हेतु /तृतीय पक्षकार विक्रय हेतु विद्युत प्रदाय का विकल्प प्रस्तुत करता है। संयंत्रों को क्रियाशील किये जाने से पूर्व विकास अभिकरण एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के साथ अनुबंध निष्पादित कर सकेगा तथा क्रियाशील किये जाने संबंधी प्रमाण–पत्र (Commissioning Certificate) अनुबंध का एक भाग होगा। तदनुसार, एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी को आदर्श अनुबंध को पुनरीक्षित किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं तथा उसे इस आदेश के तीस दिवस के अंदर पुनरीक्षित आदर्श अनुबंध की एक प्रति दाखिल किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं।

12.5 विकास अभिकरणों को अनुज्ञप्तिधारियों के साथ अनुबंध निष्पादित किये जाने से पूर्व समस्त वैधानिक स्वीकृतियां/अनुमोदन/सम्मतियां प्राप्त किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाते हैं।

अनुसूचीकरण (Scheduling) :

12.6 पवन विद्युत उत्पादन संयंत्र को 'अनुसूचीकरण' तथा 'सुयोग्यता क्रम सिद्धांतों' के विस्तार क्षेत्र से पृथक रखा गया है। तथापि, उन्हें अनुसूचीकरण के अध्यधीन रखा जाएगा, जब कभी आयोग द्वारा इसके संबंध में निर्णय लिया जाए।

प्रतिक्रिय विद्युत प्रदाय (Reactive Power Supply) :

12.7 पवन विद्युत उत्पादकों को एक विद्युत उत्पादन कंपनी का विद्युत उत्पादन स्टेशन माना जाएगा तथा विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत ऐसे स्टेशनों हेतु निर्धारित किये गये कृत्य, आबन्ध (Obligations) तथा कर्तव्य इन पावर स्टेशनों को भी लागू होंगे। इन स्टेशनों को समस्त प्रयोज्य संहिताओं का परिपालन करना होगा।

12.8 आयोग द्वारा ग्रिड से केवीएआरएच (KVARh) खपत हेतु प्रभारों का निर्धारण 27 पैसे प्रति यूनिट की दर से, अर्थात वह दर जो राज्य की वर्तमान प्रचलित दर है, किया जाता है जिसे आवश्यकतानुसार पुनरीक्षित किया जा सकेगा।

12.9 प्रतिक्रिय ऊर्जा प्रभारों का भुगतान विकास अभिकरण द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में विद्युत उत्पादक इकाई स्थित है।

तृतीय पक्षकार विक्रय/कैप्टिव विद्युत उत्पादन हेतु चक्रण प्रभार (Wheeling charges for third party sale/captive consumption) :

12.10 विद्युत वितरण कंपनी जिसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ऊर्जा की खपत की जा रही है (अन्तःक्षेपण बिन्दु पर ध्यान दिये बगैर), चक्रण प्रभारों के प्रति अन्तःक्षेप की गई ऊर्जा का दो प्रतिशत भाग की कटौती यूनिटों के रूप में प्रयोक्ता के हित में मध्यप्रदेश शासन की दिनांक 17.10.06 को अधिसूचित नीति की कण्डिका 11 में किये गये उपबंधों के अनुसार, मध्यप्रदेश राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन प्रोत्साहित किये जाने की दृष्टि से, एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड अन्तःक्षेपित की गई ऊर्जा के चार प्रतिशत की दर से राज्य शासन से चक्रण प्रभारों हेतु अनुदान का दावा करेगी। तत्पश्चात्, प्राप्त अनुदान की राशि को अनुबंध में उल्लेखित आवंटन के आधार पर उक्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को अंतरित कर दिया जाएगा जिसके कार्य क्षेत्र में ऊर्जा की खपत की जा रही है। जहां ऊर्जा का उत्पादन तथा वितरण एक ही परिसर में अनुज्ञप्तिधारियों के प्रणाली नेटवर्क को सन्निहित किये बिना निष्पादित किया जा रहा हो, वहां ये चक्रण प्रभार लागू न होंगे।

मीटरीकरण तथा बिलिंग (Metering & Billing) :

12.11 मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु दिनांक 17.10.06 को अधिसूचित मध्यप्रदेश शासन की प्रोत्साहन नीति के उपबंधों के अनुसार स्थलीय मीटरीकरण व्यवस्था करनी होगी।

12.12 मीटरीकृत ऊर्जा की बिलिंग मासिक आधार पर की जाएगी।

12.13 मीटर का वाचन तत्संबंधी विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा जहां प्रणाली में ऊर्जा का अंतःक्षेपण किया जा रहा हो।

भुगतान विधि (Payment Mechanism) :

12.14 यह सुनिश्चित किये जाने हेतु कि ग्रिड में विद्युत प्रदाय हेतु रोकड़–प्रवाह को कायम रखा जा सके, आयोग संबंधित विद्युत वितरण कंपनी को देयक प्रस्तुति से 30 दिवस की निपटान अवधि निर्दिष्ट करता है जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विद्युत का अन्तःक्षेपण किया जा रहा है।

12.15 एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर के पक्ष में देयक संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी जिसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विद्युत अन्तःक्षेप की रही है, को प्रस्तुत किये जाएंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तत्पश्चात देयकों का सत्यापन किया जाएगा तथा इन्हें देयकों की प्राप्ति के 7 दिवस के भीतर एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी जबलपुर को विकास अभिकरण के भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी, इसके बदले में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को आवंटन के आधार पर देयकों को प्रस्तुत करेगी। यदि भुगतान के संबंध में किसी प्रकार विवाद उत्पन्न हो तो ऐसी दशा में एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड ऐसे देयकों की सम्पूर्ण राशि का भुगतान निर्धारित अवधि के अंतर्गत विकास अभिकरण को करेगी तथा किसी विवादित प्रकरण को उसे आयोग को निर्दिष्ट करना होगा।

12.16 निर्धारित भुगतान अवधि के तीस दिवस पश्चात्, भुगतान किये जाने की दशा में, एमपी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, को **बकाया राशि पर भारतीय स्टेट बैंक की लघु अवधि ऋण प्रदाय दर से दो प्रतिशत प्रति वर्ष की अधिक दर के अनुसार,** जो कि भुगतान देय होने वाले माह की प्रथम तिथि को प्रचलित थी, **विलंबित अधिभार भुगतान** करना होगा।

12.17 यदि एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड विकास अभिकरण द्वारा देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि से 15 दिवस के अंदर करती है तो ऐसी दशा में विकास प्राधिकरण को त्वरित भुगतान के प्रति **देयक राशि पर एक प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन** अनुज्ञेय किया जाएगा। वैकल्पिक तौर पर, यदि एमपी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा देयक प्रस्तुत किये जाने पर विकास अभिकरण को अविखण्डनीय साख–पत्र (Irrevocable letter of credit) के माध्यम से भुगतान किया जाता है तो ऐसी दशा में विकास अभिकरण द्वारा **देयक राशि पर दो प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन** अनुज्ञेय किया जाएगा।

12.18 एमपी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर द्वारा विलंबित भुगतान अधिभार/प्रोत्साहन राशि को वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को अंतरित कर दिया जाएगा।

12.19 एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर को त्रैमास (माह जून, सितंबर, दिसंबर तथा मार्च में समाप्त होने वाले) के आगामी माह की पंद्रहवीं तिथि तक त्रैमास अंत की स्थिति में भुगतान हेतु लंबित देयकों के विवरण, विलंब के कारण दर्शाते हुए, प्रस्तुत करने होंगे।

तृतीय पक्षकार विक्रय अथवा इकाई को विक्रय बाबत चूक संबंधी प्रावधान (Default Provisions for Third Party sale or Sale to Utility)

12.20 यदि विकास अभिकरण (Developer) को देयक की प्रस्तुति के 60 दिवस के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है (अर्थात, सामान्य भुगतान हेतु तीस दिवस की निर्धारित अवधि से तीस दिवस अधिक तक) तो ऐसी दशा में विकास अभिकरण द्वारा एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड को भुगतान किये जाने बाबत 15 पूर्ण दिवस का नोटिस जारी किया जा सकता है। तथापि यह कार्यवाही इस आदेश की धारा 12.16 के उपबंध के अनुसार एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी को विलम्बित भुगतान अधिभार के भुगतान से निर्मुक्त नहीं करेगी। यदि फिर भी एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी भुगतान नहीं करती है तो ऐसी दशा में विकास अभिकरण किसी तृतीय पक्ष को विद्युत का विक्रय अनुज्ञेय किये जाने के संबंध में आयोग से संपर्क किये जाने बाबत् स्वतंत्र होगा।

12.21 जहां विकास अभिकरण द्वारा तृतीय पक्ष विद्युत प्रदाय अथवा कैप्टिव खपत हेतु व्यवस्था की गई है तथा ऐसे प्रकरण में जहां विकास अभिकरण तृतीय पक्ष से अनुबंध का समापन करना चाह रहा हो तथा इकाई को विद्युत प्रदाय हेतु, इकाई आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्ति द्वारा, विद्युत प्रदाय का क्रय अप्रत्याशित विद्युत प्रवाह (Inadvertent flow of energy) की प्रयोज्य दर पर नीचे की कण्डिका 12.22 में किये गये उल्लेख अनुसार कर सकेगा। ऐसे प्रकरणों में, विकास अभिकरणों को अनुज्ञप्तिधारी के परियोजना जीवनकाल की शेष अवधि हेतु विद्युत क्रय अनुबंध (PPA) निष्पादित करना होगा।

12.22 विद्युत उत्पादक द्वारा प्रणाली में विद्युत के अप्रत्याशित प्रवाह किये जाने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विकास अभिकरण को उसके द्वारा प्रदाय की गई ऊर्जा पर **रू. 2.95 प्रति यूनिट** की दर से, जो पूंजी पर प्रतिलाभ को घटाकर, संतुलित आधार पर की गई गणना के अनुसार विद्युत–दर (टैरिफ) है, के अनुसार भुगतान करना होगा।

12.23 परियेाजना विकास अभिकरण को कैप्टिव उपयोग/तृतीय पक्ष विक्रय हेतु लघु/दीर्घ अवधि खुली पहुंच अनुमति प्राप्त करनी होगी। प्रयोज्य खुली पहुंच प्रभार उद्ग्रहण किये जाएंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत विक्रय के प्रकरण में इस प्रकार की अनुमति लागू नहीं होगी तथा इसे प्राप्त किया जाना आवश्यक न होगा।

विद्युत अवरोध के दौरान विद्युत का आहरण करना (Drawing of Power during Shutdown) :

12.24 संयंत्र के विद्युत अवरोध (shutdown) की अवधि के दौरान तथा अन्य आकस्मिकताओं के दौरान भी वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली (नेटवर्क) से वितरण आहरण हेतु अधिकृत किया जाएगा। आहरित किये गये विद्युत प्रदाय की बिलिंग उच्चदाब औद्योगिक श्रेणी को प्रयोज्य अस्थाई दर पर की जाएगी। सामान्यतः संयंत्र द्वारा विद्युत का आहरण इसके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय की जा रही मेगावाट क्षमता के 10 प्रतिशत से अधिक होने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

अन्य प्रयोज्य शर्तें (Other applicable conditions) :

12.25 समस्त वैधानिक स्वीकृतियां तथा आवश्यक अनुमोदन, यदि वे लागू हों, तो विकास अभिकरण को इन्हें अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग, भारत शासन के माध्यम से प्राप्त करना होगा। विकास प्राधिकरण इनके परिपालन तथा नवीकरण हेतु, जैसा कि वे समय–समय पर आवश्यक हों, उत्तरदायी होगा।

12.26 विकास प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना होगा कि संयंत्र का प्रस्तावित स्थल केन्द्रीय/राज्य शासन के नीति संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार हो।

12.27 न्यूनतम क्रय अर्हता अधिकोषीकरण (बैंकिंग), संविदा मांग में कमी की जाना तथा विद्युत अवरोध (Shut_down) के दौरान विद्युत के आहरण के संबंध में अन्य शर्तें यथासंशोधित मप्रविनिआ [ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन] विनियम, 2008 के अनुसार लागू होंगी।

स्वच्छ विकास तंत्र का परस्पर आदान–प्रदान (sharing), केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) संबंधी विनियम, यथा [CERC (Tariff for Renewal Energy Sources) Regulations, 2009] के उपबंधों के अनुसार होगा जिसका भाषान्तर निम्नानुसार है :

''स्वच्छ विकास तंत्र (Clean Development Mechanism) लाभों को सकल आधार पर विभाजित किया जाएगा जो कि विकास अभिकरणों हेतु क्रियाशील होने के प्रथम वर्ष के दौरान शत–प्रतिशत से प्रारंभ होकर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की दर से ह्रासित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक विकास अभिकरणों व उपभोक्ताओं के मध्य घट कर छटवें वर्ष के दौरान यह सम (50 : 50) नहीं हो जाता। तत्पश्चात्, स्वच्छ विकास तंत्र के लाभों का बंटवारा लाभ प्राप्ति जारी रहने पर्यन्त बराबर–बराबर किया जाएगा।

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को वार्षिक राजस्व आवश्यकता के माध्यम से इस राशि का अंतरण उपभोक्ताओं को करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विकास अभिकरण को पूर्व वितरण वित्तीय वर्ष के दौरान स्वच्छ विकास तंत्र के माध्यम से प्राप्त लाभ के बारे में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की दिनांक 15 अप्रैल तक सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

12.28 वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत विक्रय के प्रकरण में इस प्रकार की अनुमति लागू नहीं होगी तथा इसे प्राप्त किया जाना आवश्यक न होगा। यदि अन्तःक्षेपण एवं आहरण बिन्दु वितरण अधिकारियों में से किसी के भी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों, जिसके अंतर्गत पारेषण नेटवर्क सन्निहित हो तो ऐसी दशा में विकास अभिकरण को एमपी पावर ट्रेडिंग कंपनी से अनुबंध के निष्पादन से पूर्व एमपी ट्रांसमिशन कंपनी से थोक विद्युत पारेषण हेतु अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा विकास अभिकरण को एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी के साथ कोई पृथक अनुबंध निष्पादित नहीं करना होगा।

12.29 विद्यमान परियोजनाएं वे होंगी जिनके क्रियाशील होने की तिथि इस चालू आदेश से पूर्व की कोई तिथि है। विद्युत परियोजनाओं हेतु अनुज्ञप्तिधारियों को विक्रय हेतु भुगतान योग्य विद्युत–दर (टैरिफ) की निबंधन तथा शर्तें उक्त परियोजनाओं हेतु उनके अनुबंध के निष्पादन के समय प्रयोज्य शर्तों द्वारा शासित होगी।

तद्नुसार आदेशित किया गया।

हस्ता–	हस्ता–
(सी.एस. शर्मा)	**(के.के. गर्ग)**
सदस्य (इकानामिक्स)	सदस्य (अभियांत्रिकी)

स्थानः भोपाल

दिनांक : 14 मई, 2010

————————